

**कार्यालय मुख्य कार्यपालक अधिकारी
भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण
बीडा- भदोही**

अल्प कालीन निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु मुहरबन्द निविदा बीडा में पंजीकृत ठेकेदारों से निर्धारित प्रपत्र पर आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र इस कार्यालय में दिनांक 08.06.2016 को अपरान्ह 4.00 बजे तक अपेक्षित मूल्य जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदाएं दिनांक 09.06.16 को अपरान्ह 2.00 बजे से 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है तथा प्राप्त निविदायें उसी दिन अपरान्ह 4.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष समिति द्वारा खोली जायेगी।

क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	धरोहर धनराशि	निविदा प्रपत्र मूल्य + 5 प्रतिशत वैट	कार्य करने की अवधि
1	जमुनीपुर आ०यो० में ई०डब्ल्यू०एस० के पार्क की बाउन्ड्रीवाल तथा सीवर के मेन होल के ढक्कनों की मरम्मत कार्य।	117232.00	2350.00	500.00 + 25.00 वैट	1 माह
2	हरियोव आ०यो० के पम्प हाउस के बाउन्ड्रीवाल के ऊपर ग्रिल लगाने तथा ट्रान्सफार्मर के चारों तरफ फेन्सिंग कार्य।	191273.00	3850.00	500.00 + 25.00 वैट	1 माह
3	पिपरीस औद्योगिक सह-आवासीय योजना में सड़क मरम्मत कार्य।	379334.00	7600.00	1000.00 + 50.00 वैट	2 माह
4	भदोही-वाराणसी मार्ग पर प्राधिकरण की सीमान्तर्गत ग्राम बरदहों में रेक्टो रेफ्लेक्टिंग साइन बोर्ड लगाने का कार्य।	919000.00	18400.00	1500.00 + 75.00 वैट	1 माह

शर्तें :-

- जमानत धनराशि का भुगतान अन्तिम भुगतान की तिथि से एक वर्ष की अवधि के उपरान्त ही किया जायेगा तथा उक्त एक वर्ष की अवधि में समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
- निविदा केवल वे ही व्यक्ति/ फर्म ले सकते हैं जिनका सन्दर्भित कार्य की लागत हेतु निर्धारित श्रेणी में पंजीकरण हो।
- निविदा सूचना क्रमांक 4 पर अंकित कार्य के लिये बीडा में पंजीकृत ठेकेदारों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों/ फर्मों द्वारा भी निविदा ली जा सकती है परन्तु वो ही व्यक्ति/ फर्म इसके लिये पात्र होंगे, जिनके द्वारा रेक्टो रेफ्लेक्टिंग साइन बोर्ड लगाने का अनुभव होगा। इसके लिये सर्वप्रथम उनके अनुभव प्रोफाइल सम्बन्धी तकनीकी प्रमाण पत्रों आदि की जाँच की जायेगी। यदि वे इसके लिये अहर्ष पाये जाते हैं तभी उनका वित्तीय बीड (टेण्डर) खोला जायेगा। टेक्नीकल बीड के अन्तर्गत फर्म को क्रमांक 4 पर दर्शाये गये कार्य को करने का पर्याप्त अनुभव से सम्बन्धित प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा।
- स्टैम्प अधिनियम के अन्तर्गत अनुबन्ध करते समय नियमानुसार स्टैम्प पेपर भदोही से क्रय कर देना होगा। जिसकी सही होने की समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की स्वयं की होगी।
- आवंटित कार्य हर हालत में निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा अन्यथा अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।
- कार्य में प्रयुक्त होने वाले खनिज/ उप खनिज हेतु भुगतान की गयी रायल्टी के साक्ष्य हेतु एम.एम. 11 जिला खनिज कार्यालय भदोही से सत्यापित कराने के उपरान्त कार्यालय में जमा करना होगा, अन्यथा उसकी कटौती बिल से करते हुए धनराशि कोषागार में जमा कर दी जायेगी।
- धरोहर धनराशि प्रत्येक निविदा प्रपत्र के साथ जमा होना अनिवार्य है। जिस निविदा की धरोहर धनराशि नहीं होगी उसको संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।
- निविदा प्रपत्र शुल्क पर निर्धारित ट्रेड टैक्स अलग से शुल्क जमा करते समय देय होगा।
- प्रत्येक कार्य की कम से कम 3 वैध निविदा प्राप्त होने पर ही विचार किया जायेगा।
- प्रत्येक सफल निविदादाता को कार्य शुरू करने के पूर्व तथा कार्य समाप्ति के उपरान्त सहायक अभियन्ता/ अवर अभियन्ता की उपस्थिति में मौके की फोटोग्राफी कराकर कार्यालय में जमा करना होगा।
- मुख्य कार्यपालक अधिकारी को बिना कारण बताये किसी एक या सभी निविदाएं निरस्त करने का अधिकार होगा।

Handwritten Signature
23.5.16
(आर०ए० यादव)

अधिशासी अभियन्ता